iapk;rh jkt foHkkx]mRrj izns'k

ukxfjd pkVZj

iapk;rh jkt funs'kky;]m0iz0] NBk ry] tokgj Hkou] y[kuÅ

iapk;rh jkt foHkkx]mRrj izns'k

ukxfjd pkVZj

उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग ग्रामीण विकास से जुड़ा एक प्रमुख विभाग है। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान में 73 वें संशोधन के अनुरूप प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है ताकि पंचायतें पूर्ण जनसहभागिता तथा पारदर्शिता के साथ ग्रामीण प्रशासन एवं ग्रामीण विकास की परिकल्पना को साकार कर सकें।

इस नागरिक चार्टर को जनसामान्य की सुविधा एवं जानकारी के दृष्टिकोण से 7 विषयों में बांटा गया है।

1. ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता
2. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
3. पंचायतों का दायित्व –कार्य में पारदर्शिता,ग्रामीण प्रशासन एवं विकास
4. पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व
5. विकेन्द्रीकरण कार्यक्रम
6. ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण
7. पंचायत हेल्प–लाइन की व्यवस्था

नागरिक चार्टर एक सतत् प्रक्रिया है जो समय के साथ–साथ जनता की भावनाओं, सुझावों, अनुभव तथा प्रतिक्रिया के अनुरूप बदलती रहेगी।

पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश जनसाधारण की जानकारी हेतु विभाग का नागरिक चार्टर जारी कर रहा है। इस प्रयास को सफल बनाने की दिशा में जनता के बहुमूल्य सुझाव आमन्त्रित किये जाते हैं जिन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, मंडलीय उपनिदेशक कार्यालय या पंचायती राज निदेशालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

1- xzke iapk;rksa dks foRrh; lgk;rk

dze la[;k	;kstuk dk uke	;kstuk dk izkjEHk dk o"kZ	laf{kIr mn~ns';	dk;Z dk p;u
1	2	3	4	5
1.	12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	2005–06	12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर धनराशि का आवंटन 70:10:20 के अनुपात में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को किया जा रहा है। इस धनराशि को पंचायतीराज संस्थायें प्राथमिकता के आधार पर पेयजल योजनाओं एवं स्वच्छता सुविधाओं के संचालन एंव रखरखाव पर व्यय करेंगी।	ग्राम सभा की खुली बैठक में
2.	राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायतो	1997–98 से	द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संसतुतियों के अनुरूप धनराशि का आवंटन 70:10:20 के अनुपात में क्रमशः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत को किया जा रहा है। सार्वजनिक लैम्पपोस्टों के रखरखाव, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित मार्ग/खंडजा–नाली के रखरखाव, जल	ग्राम सभा की खुली बैठक में

			निकासी,, स्वच्छता कार्यक्रम, प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक पाठशाला, पंचायत भवन, ए.ए.न. एम. सेन्टर तथा अन्य सार्वजनकि परिसम्पत्तियों का रखरखाव।	
3.	पंचायत भवनों का निर्माण		छठी पंचवर्षीय योजना से ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन हेतु सभाकक्ष तथा ग्राम पंचायत के सचिव के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। पंचायत भवन की निर्माण लागत रू. 2.50 लाख निर्धारित है।	
4.	ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशुहाटों का निर्माण	2004–05	ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत गांवों में ग्रामीण किसान बाजारों एवं पशुहाटों का निर्माण कराया जाता है।	
5.	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिगत नाली निर्माण	2006–07	गावों में घरों से निकलने वाले बेकार पानी की उचित निकासी तथा वातावरणीय स्वच्छता के उद्देश्य से भूमिगत नाली निर्माण की योजना प्रारम्भ की जा रही है।	

2- xkeh.k LoPNrk dk;de

<table>
<tr><th>de l[;k</th><th>dk;de</th><th>lf{kIr fooj.k</th><th>mnn';</th><th>vunku</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम</td><td>सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 2000–01 से प्रदेश के 12 जनपदों में प्रारम्भ किया गया । बाद में चरणबद्ध रूप से प्रदेश के समस्त जनपदों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।</td><td>

ग्रामीण स्वच्छता के अन्तर्गत शतप्रतिशत आच्छादन।
जनजागृति और आरोग्य शिक्षा के द्वारा स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं की मांग।
ग्रामीण स्कूलों में छात्रों व छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय एंव मूत्रालय की सुविधा।
कम लागत की शौचालय तकनीक को प्रोत्साहन।
अस्वच्छ वातावरण एवं दूषित जल से फैलने वाली बीमारियों में कमी लाना।

</td><td>
<table>
<tr><td></td><td colspan="6">v'knku</td></tr>
<tr><td rowspan="2">बेसिक लो कास्ट (रू0)</td><td colspan="2">भारत सरकार</td><td colspan="2">राज्य सरकार</td><td colspan="2">लाभार्थी अंश</td></tr>
<tr><td>बी पी एल</td><td>ए पी एल</td><td>बी पी एल</td><td>ए पी एल</td><td>बी पी एल</td><td>ए पी एल</td></tr>
<tr><td>रू0 625/– तक (एक गढ्डा)</td><td>60% रू0 375</td><td>0</td><td>20% रू0 125</td><td>0</td><td>20% रू0 125</td><td>0</td></tr>
<tr><td>रू0 1000/– लागत तक</td><td>30%</td><td>0</td><td>30%</td><td>0</td><td>40%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>रू01000/– से अधिक लागत</td><td colspan="4">कोई अनुदान नही</td><td>100%</td><td>10%</td></tr>
</table>
<u>fo'k"k ikRlkgu ;ktuk dk vUrxr</u>
<table>
<tr><td></td><td>बी0 पी0 एल0 परिवार</td><td>ए0 पी0 एल0 परिवार</td></tr>
<tr><td>केन्द्रांश</td><td>300</td><td>–</td></tr>
<tr><td>राज्यांश</td><td>300</td><td>–</td></tr>
<tr><td>लाभार्थी</td><td>400</td><td>400</td></tr>
<tr><td>ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रोत्साहन की धनराशि</td><td>900</td><td>1500</td></tr>
<tr><td>;kx</td><td>1900</td><td>1900</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण

</td><td>

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत गांव में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया जाता है। बीपीएल तथा 10 प्रतिशत एपीएल परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु रू0 1500 अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। विशेष प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्लिन्थ स्तर तक रू. 1000/– का माडल

</td><td></td></tr>
</table>

			अनुमन्य है।	
		• स्कूल शौचालयों का निर्माण एवं आंगनबाड़ी स्वच्छता	• बच्चों में नये विचारों के प्रति अतिसंवेदनशीलता होने के कारण उन्हें स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करने एवं शिक्षित करने हेतु स्कूल शौचालयों का निर्माण कराया जाता है। छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग–अलग इकाईयों का निर्माण किया जाता है। • एक स्कूल शौचालय इकाई की लागत रू. 20,000/– तक निर्धारित है जिसमें रू. 2000/– पंचायत अंश है। • प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर बाल मैत्रिक शौचालय इकाई की लागत रू. 5000/– निर्धारित हैं जिसमें रू. 500/– पंचायत अंश है।	
		• सामुदायिक शौचालय काम्प्लेक्स का निर्माण	• ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा एवं उनकी सुविधा को दृष्टि में रखते हुए ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में सामुदायिक शौचालय काम्प्लेक्स का निर्माण कराया जाता है। • एक सामुदायिक शौचालय काम्प्लेक्स की लागत अधिकतम रू. 2.00 लाख निर्धारित है जिसमें 20 प्रतिशत पंचायत का अंश होता है। सामुदायिक शौचालय काम्प्लेक्स में शौच के साथ–साथ नहाने एवं कपड़ा धोने तथा जलापूर्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। • जिन गांवों में परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध न हो, हाटबाजारों तथा मेला स्थलों पर सामुदायिक शौचालय के निर्माण का प्राविधान है।	
2.	ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्र	एक विक्रय केन्द्र जहॉ ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति एवं स्वच्छ पेयजल	• ग्रामीण स्वच्छता का प्रचार–प्रसार। • सीमेन्ट, मुजैक, सिरैमिक के शौचालय सेट उपलब्ध।	

		को उपलब्ध कराने की वस्तुएं, निर्धारित मानकों,उचित गुणवत्ता एवं उचित दामों पर उपलब्ध हैं।	• शौच कक्ष के दरवाजे उपलब्ध। • खाद्य पदार्थ रखने वाली जालीदार अलमारी, जूते, चप्पल की बिक्री। • पेयजल शुद्ध करने हेतु क्लोरीन की गोली, ब्लीचिंग पाउडर आदि की बिक्री। • स्वच्छता से संबंधित • समस्त सामानों यथा • फिनायल, नाखून कटर, ढक्कनदार बाल्टी, डन्डी वाला लोटा आदि की बिक्री	

LoPNrk dk ldYi yhft, & in'k dk dk;kdYi dhft,

3- ipk;rk dk nkf;Ro&dk;Z e ikjnf'kZrk] xkeh.k i'kklu ,o fodkl

dze l[;k	nkf;Ro	mnn'; dh ijk dj
1	2	3
1.	समय से ग्राम सभा की बेठकें हों	ग्रामीण जनता को पंचायत के कार्यो की जानकारी मिले तथा धन के व्यय,कार्यो एवं लाभार्थियों के चयन में पारदार्शिता। खरीफ एवं रवी की बैठके हों।
2.	ग्राम पंचायत की मासिक बेठकें हों	निर्वाचित सदस्यों को पूरी जानकारी मिले ताकि लेखा –जोखा नियन्त्रित हो सके।
3.	समितियों की मासिक बैठकें	पंचायत अपने सहयोग के लिए निर्धारित कार्यो का कार्यान्वयन विकेन्द्रीकृत रूप में 6 समितियों के सहयोग से पूर्ण करें।
4.	ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि	स्वशासन की ईकाई की परिकल्पना को साकार करने हेतु अधिनियम में निर्धारित कर, फीस व शुल्क की वसूली करें।
5.	कार्यो में पारदर्शिता	ग्राम पंचायत को प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यो का विवरण सार्वजनिक भवन पर ''वाल पेंटिंग'' के माध्यम से दर्शाया जाय। मस्टर रोल एवं लाभार्थी सूची आदि का प्रकाशन कार्यालय के सूचना पट पर किया जाए।
6	ग्रामीण स्वच्छता	ग्राम को खुले में शौच मुक्त बनाना तथा वातावरणीय स्वच्छता बनाए रखना।
7.	सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान पर नियन्त्रण	ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों में अनियमितता की जानकारी होने पर ग्राम पंचायत उप जिलाधिकारी को प्रस्ताव दे ताकि दुकान निलम्बित की जा सके।
8.	स्थायी स्तर पर योजना बनाकर स्वीकृत करें	जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायत जनहित की योजना बनाएं तथा 50 हजार रू0 तक की लागत की योजना स्वीकृत कर पूर्ण करें।
9	तीन माह में एक बार ग्राम पंचायत एवं भूमि प्रबन्धक समिति के अभिलेखों का निरीक्षण	न्यूनतम तीन माह में एक बार अनिवार्यतः ग्राम पंचायत एवं भूमि प्रबंधक समिति के अभिलेखों का औपचारिक रूप से प्रधान निरीक्षण करें ताकि प्रधान जन मानस को ग्राम समाज की सम्पत्ति की जानकारी दे सकें।

4- ipk;rk d ifr turk dk nkf;Ro

de l[;k	turk dk nkf;Ro	D;k vkj dl
1	2	3
1.	बैठको में सहयोग करें	1. ग्राम सभा की बैठक में विभिन्न कार्यो एवं योजनाओं पर सकारात्मक रूप से चर्चा करें तथा प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यो की अवश्य जानकारी प्राप्त करें। 2. विभिन्न योजनाओं में पात्र व्यक्तियों का ही चयन करें।
2.	ग्रामीण स्वच्छता का ध्यान दें	1. सभी परिवार शौचालय अवश्य बनवाएं तथा प्रयोग करें। 2. महिलाओं के सम्मान एवं वृद्धों की सुविधा के लिए शौचालय बनवाएं। 3. गॉव की गलियों व नालियों को साफ रखें तथा कूड़ा इकट्ठा न होने दें। 4. घर के अन्दर व बाहर सफाई रखें। 5. शरीर की सफाई रखें।
3.	ग्राम पंचायत की सम्पत्ति की सुरक्षा करें	1. वृक्षों की अवैध कटान रोकें। 2. ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा न करें। 3. सामुदायिक भवनों का रख–रखाव ठीक से हो। 4. अधिकाधिक उपयोगी वृक्ष लगाये।
4.	जनसहभागिता बढ़ायें।	1. विकास कार्यो एवं निर्माण कार्यो में समुदाय की पूरी भागीदारी हो। 2. श्रमदान की प्रवृत्ति बढ़ायें। 3. समस–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें।

5- fodUnhdj.k dk;de

de l[;k	dk;	mn';
1.	प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी	1. स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन ग्राम पंचायत कार्यालय में जनता को सुविधा प्रदान करना। 2. कार्यो में अनियमितता पाये जाने पर सीधी जवाबदेही।
2.	कार्यो का हस्तांतरण	विभिन्न विभागों जैसे – हैण्डपम्प, कृषि, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पशुपालन, युवा कल्याण, पेंशन व छात्रवृत्ति के ग्राम स्तरीय कार्य ग्राम पंचायतों को दिये जाने से इन कार्यो में जनसहभागिता सुनिश्चित होगी।
3.	परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण	स्थानीय स्तर पर परिसम्पत्तियों जैसे सार्वजनिक भवनों पाठशालाओं हैण्डपम्प आदि का व्यवस्थित रखरखाव होगा।
4.	ग्राम पंचायतों को धनराशि का हस्तांतरण	जिन विभागों के कार्य ग्राम पंचायतों को दिये गये हैं उनकी धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किये जाने से स्थानीय स्तर पर जनसहभागिता से उच्च कोटि के कार्य होंगे।
5.	समितियों का गठन	विकेन्द्रीकरण के दृष्टिकोण से केवल प्रधान व सचिव अकेले कार्य न कराकर समितियों से सहयोग लें ताकि कार्य में पारदर्शिता हो।
6.	अभिलेखों में पारदर्शिता	प्रति 5 पृष्ट तक के लिए रू0 5/– तथा अतिरिक्त एक पृष्ठ के लिए रू0 1/– ग्राम पंचायत अभिलेखों की नकल हेतु फीस निर्धारित की गई है। फीस जमाकर प्रार्थना–पत्र देने पर 3 दिन के अन्दर नकल दिये जाने का प्राविधान किया गया है।
7.	प्रशासनिक समन्वय समितियों का गठन	जिलास्तर पर जिलाधिकारी तथा मंडल स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रशासनिक समन्वय समितियॉ गठित की गई है जो पंचायती राज एवं विकेन्द्रीकरण से जुड़े कार्यो की गहन समीक्षा करेगी।

LoPN okrkoj.k gr vf/kd l vf/kd mi;kxh o{k yxkb,

6- xke ipk;rk ij fu;U=.k

1. ग्राम पंचायत स्तर पर धन का दुरूपयोग रोकने के लिए प्रधानों,उपप्रधानों व सदस्यों के विरूद्ध जॉच का कानून बना है।
2. शिकायत शपथ–पत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी जिसके साथ साक्ष्य भी दिये जा सकते हैं।
3. शिकायत की जॉच केवल जिला स्तरीय अधिकारी,जिसे जिला मजिस्ट्रेट आदेश देंगे, द्वारा की जायेगी।
4. ग्राम पंचायतें अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु चार्टेड एकाउन्टेन्ट अनुबन्धित करेंगी।
5 ग्राम पंचायतों का आडिट महालेखाकार द्वारा किया जाएगा।
6. प्रधान के विरूद्ध यदि गम्भीर आरोप है तो ग्राम सभा स्वयं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटा सकती है।

7- ipk;r gYi&ykbu dh 0;oLFkk

1. पंचायती राज व्यवस्था, अधिनियम या सम्बन्धित नियमों,कार्यक्रमों की जानकारी के लिए पंचायत हेल्प लाइन व्यवस्था लागू की गई है।
2. प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के विभागीय अधिकारी प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक कार्यालय के दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे।
3 जिला स्तर पर प्रत्येक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के दूरभाष पर पंचायत पदाधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी से अपनी बात कह सकते हैं।
4. प्रदेश के मंडल कार्यालयों का दूरभाष नम्बर निम्न प्रकार है जिन पर हेल्प लाइन व्यवस्था के अन्तर्गत बात की जा सकती है और समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है।

de l[;k	dk;ky;	inuke	irk	Qku uoEcj dk;ky;
1	2	3	4	5
1.	प्रदेश स्तर पर	1. निदेशक, पंचायती राज	छठा तल, जवाहर भवन, लखऊ	0522–2286641 2286611
		2. अपर निदेशक पंचायती राज	छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ	0522–2286603
		3. संयुक्त निदेशक(पंचायत),	छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ	0522–2286646
		4. उपनिदेशक (पंचायत)	छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ	0522–2286646
2.	मण्डलीय कार्यालय	1. मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) लखनऊ मण्डल 2. मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत) फैजाबाद तथा देवीपाटन मण्डल	चौथा तल, जवाहर भवन, लखनऊ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के निकट	0522–2286677 05278–220024
		3. मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), कानपुर मण्डल	24, त्रिवेणीनगर मीरपुर कैन्ट, कानपुर नगर	0512–2320101
		4. मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), झॉसी मण्डल	द्वारा–जिला पंचायत राज अधिकारी झॉसी	0517–2450702
		5. मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), इलाहाबाद तथा चित्रकूट मण्डल	6/3 सी बेलीरोड़ इलाहाबाद पिन कोड नं0 211001	0532–2640582

		6. मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), वाराणसी मिर्जापुर तथा आजमगढ़ मण्डल	17/205एच–28 अशोक बिहार कालोनी फेज–1 पहड़िया, वाराणसी	0542–2587011
		7. मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), गोरखपुर तथा बस्ती मण्डल	द्वारा श्री देवीशरण पाण्डेय,मकान नं0 00115–जेड,द्वितीय तल, चारूचन्द्रपुरी गोरखपुर	0551–2200217
		8. मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), मेरठ मण्डल	पंचायत भवन मक बरा रोड़ कैसरगंज, मेरठ	0121–2510921
		9. मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), बरेली मण्डल	121 आवास विकास आयुक्त निवास के पास, सिविल लाइन, बरेली	05842–2426553
		10. मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), आगरा मण्डल	सोंठ मण्डी मानसिक अस्पताल के सामने मथुरा रोड़ ,आगरा	0562–2603976
		11. मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), सहारनपुर तथा मुरादाबाद मण्डल	द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी मुरादाबाद	0591–2422218

n'k e iltkr= dh tM etcr djus rFkk ipk;rh jkt 0;oLFkk lqn< djus dk fy, ge dr lkdYi gA